न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या:–11/2023 निर्णय दिनांक :–30.01.2023

उनवानी प्रार्थना पत्र :

सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील देवली जिला टोंक राज0

–प्रार्थी–

बनाम

1. आशा पुत्री रामदेवा जाति हरिजन निवासी थांवला तहसील देवली जिला टोंक राज.
2. मुन्नालाल पुत्र रामदेवा जाति हरिजन निवासी थांवला तहसील देवली जिला टोंक राज.
3. मैना पुत्री रामदेवा जाति हरिजन निवासी थांवला तहसील देवली जिला टोंक राज.
4. राकेश पुत्र रामदेवा जाति हरिजन निवासी थांवला तहसील देवली जिला टोंक राज.
5. सुरेन्द्र पुत्र रामदेवा जाति हरिजन निवासी थांवला तहसील देवली जिला टोंक राज.

–अप्रार्थी गण–

उपस्थिति :–
पैरोकार सरकार

इकबालिया जवाब
अप्रार्थी संख्या 4
एकपक्षीय कार्यवाही
विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 व 5

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, भू–राजस्व अधिनियम 1956

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि आंवटी रामदेवा पुत्र फेफा हरिजन को दिनांक 27.07.1972 को ग्राम थांवला में खसरा नम्बर 8 मिन रकबा 5 बीघा भूमि आवंटित हुई थी। जिसे गैर खातेदारी दर्ज रिकार्ड किया गया। उक्त आवंटित भूमि के भूप्रबन्ध बाद नये खसरा नम्बर 401 रकबा 1.30 है0 दर्ज किया गया। ग्राम थांवला से नवीन राजस्व ग्राम बनने से नये ख. नं. 123 रकबा 1.30 है0 दर्ज किये गये। उक्त गैर खातेदार को ग्राम थांवला खसरा नम्बर 123 रकबा 1.30 है0 मे से रकबा 1.25 है0 रकबे के खातेदारी हक प्रदान किये जाने के आदेश प्रदान करने पर गैर खातेदारी से खातेदारी हक का नामान्तकरण दर्ज किया जाकर खातेदारी अधिकार दे दिया गया है। उक्त खातेदारी दिये जाने के बाद ख. नं. 3354/123 रकबा 0.05 किस्म बारानी 3 गैर खातेदार आशा मुन्नालाल मैना राकेश सुरेन्द्र पिता रामदेवा के नाम दर्ज रिकार्ड रह गया है जो कि भूप्रबन्ध द्वारा आंवटित भूमि के मुकाबले अधिक दर्ज कर दिये जाने से रहा है। अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि आवेदन पत्र के चरण सं. 4 मे अंकित भूमि मे सिवायचक दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

अप्रार्थी की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थीगण संख्या 4 ने उपस्थित होकर आदशिका पर लिखा कि हमें कोई आपति नहीं है। 1 ता 3 व 5 बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज भू आवंटन कमेटी मु. देवली कैम्प थांवला दिनांक 27.07.1972 से प्रार्थी रामदेव पुत्र फूफा को सिवायचक भूमि ख. नं. 8 में से क्षैत्रफल 5 बीघा भूमि काश्त हेतु आवंटित किया जाता है। सुपुर्दगीनामा दिनांक 10.10.72 शामिल मिसल है। बाद भू–प्रबन्ध ख. नं. 8 मिन क्षैत्रफल 5 बीघा के नये ख. नं. 401 रकबा 1.30 है0 बनाये गये। ग्राम थांवला से नवीन राजस्व ग्राम बनने से नये ख. नं. 401 रकबा 1.30 है0 से हाल ख. नं. 123 रकबा 1.30 है0 की खातेदारी अप्रार्थी के नाम कर दी गई। जबकि 5 बीघा का है0 मे परिवर्तन करने पर 1.25 है0 होते है अर्थात अप्रार्थीगण जो रामदेवा पुत्र फुफा के जायज कायम मुकामान है, के खाते में 1.25 है0 के स्थान पर 1.30 है0 भूमि लगा दी गई, जो कि 0.05 है0 अधिक है। तहसीलदार देवली ने प. ह. थांवला के प्रार्थना पत्र दिनांक 23.12.2022 पर ख. नं. 123 के नये ख. नं. 3353/123 रकबा 1.25 है0 किस्म बारानी 3 खातेदार व ख. नं. 3354/123 रकबा 0.05 है0 गैर खातेदार, बनाकर अप्रार्थीगण जो आवंटी रामदेवा पुत्र फुफा के जायज कायम मुकामान राजस्व रिकॉर्ड अनुसार है, को ख. नं. 3353/123 रकबा 1.25 है0 किस्म बारानी 3 के खातेदारी अधिकार दिये गये तथा ख. नं. 3354/123 रकबा 0.05 है0 भूमि आवंटन से 0.05 है0 अधिक होने से, गैर खातेदारी के रूप में दर्ज की गई। अतः ख. नं. 3354/123 रकबा 0.05 है0 भूमि को गैर खातेदारी से सिवायचक राजस्व रिकॉर्ड करने हेतु तहसीलदार देवली ने न्यायालय में प्रार्थना पेश किया है। इस बाबत अप्रार्थी ने न्यायालय में उपस्थित होकर कथन करते हुए आदेशिका पर लिखा कि हमें कोई आपति नहीं है। अतः राजस्व दस्तावेजो व अप्रार्थी अनापति का विवेचन करने पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः आराजी ख. नं. 3354/123 रकबा 0.05 है0 भूमि वाके ग्राम थांवला तहसील देवली से गैर खातेदार अप्रार्थीगण का नाम विलोपित कर, इस भूमि को सिवायचक दर्ज राजस्व रिकॉर्ड करने व नियमानुसार कब्जेराज लेने हेतु तहसीलदार देवली को अनुमत किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली